

**उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम
इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र
(जीपीएच परिसर), पोलोग्राउण्ड इन्दौर-452003**

आदेश क्रमांक 245/विउशिनिफो/इंदौर/22

प्रकरण क्रमांक WO 522822

विषय :-बिजली बिल कम करने एवं कनेक्शन पीडीसी करवाने विषयक।

बालाजी रिसायकलिंग,

-----परिवादी

प्रो.श्री चेतन खण्डेलवाल, 191 नर्मदा नगर,

बेटमा, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर (म.प्र.)

विरुद्ध

कार्यपालन यंत्री (सं/सं) संभाग मप्रपक्षेविविकलि.पीथमपुर

-----उत्तरदाता

आदेश

(आज दिनांक 22.09.2022 को पारित किया गया)

परिवादी स्वयं उपस्थित।

विपक्ष मप्रपक्षेविविकलिमि. की ओर से श्री सुशील कैथवास सहायक यंत्री उपस्थित।

परिवादी का कथन :-

परिवादी का श्री फेज 15.0 एचपी. क्षमता का औद्योगिक विद्युत कनेक्शन क्र. 3424804-BTM11-9-N3804018269 है, का लॉक डाउन के पहले बिल में गलत रिडिंग होने के संबंध में बेटमा ऑफिस में बताये जाने पर मीटर में रिडिंग चैक करने का आश्वासन दिया गया था, उस समय बिल रु. 10000/- से रु.15000/- के आस-पास ही था जो गलत रिडिंग के कारण डबल हो जाने के कारण उस समय बिल नहीं जमा किया जा सका। फिर अचानक लॉकडाउन लगने के कारण सब काम बंद हो गया था। लॉक डाउन खुलने के बाद मालूम हुआ कि कनेक्शन काट दिया गया था। उस समय कुछ गलत फहमी की वजह से परिवादी को अंदर कर दिया गया था तथा कुछ माहों के बाद बाहर आने पर सब कुछ खत्म हो चुका था। परिवादी कर्जे में आ गया तथा प्लांट भी पूर्णतया बंद हो गया। बिजली बिल के बारे में मालूम हुआ तो बेटमा ऑफिस में, कनेक्शन खत्म कर मीटर निकालने के लिए आवेदन दिया गया था, साथ में रिडिंग भी चैक करवाई गई, जो कि बिल की तुलना में काफी कम थी। यह निवेदन किया गया था कि मीटर में जो रिडिंग आई है, उस हिसाब से पेमेंट लेकर कनेक्शन काट दिया जावे। किंतु दो-ढाई साल होने

पर भी कनेक्शन परमानेंट डिस्कनेक्ट नहीं किया गया और बिल भी बहुत ज्यादा बताया जा रहा है। परिवादी की हालत बहुत ही खराब है, निवेदन है कि बिल समाप्त किया जावे, अधिभार हटाया जावे एवं कनेक्शन स्थाई रूप से काट दिया जावे।

परिवादी ने परिवाद के साथ संबंधित विपक्ष अधिकारी को प्रेषित आवेदन पत्र दि.25.07.2022 एवं आवेदन दि. 01.03.2021, मासिक विद्युत बिल माह जनवरी 2021, माह जून 2022, कनेक्शन की एचवीसीएमएस रिपोर्ट माह जून 2015 से माह अक्टूबर 2019 तक की तथा कंसुमर रिपोर्ट माह फरवरी 2020 से माह अप्रैल 2021 तक की छाया प्रतियां संलग्न की है।

2.विपक्ष के जवाबदावे के संदर्भ में परिवादी ने फोरम सुनवाई दि. 25.08.2022 को यह लिखित कथन प्रस्तुत किया है कि उक्त कनेक्शन का माह जुलाई 2019 से उपयोग नहीं किये जाने के बावजूद प्रतिमाह 300 युनिट खपत का बिल आ रहा है जबकि कई बार कनेक्शन पीडीसी कर मीटर निकालने के लिए कहा गया है। दो साल का अनुबंध भी समाप्त हो चुका है। अतः कनेक्शन पीडीसी करते हुए मीटर निकालकर, माह जुलाई 2019 से बिल एवं अधिभार समाप्त किया जावे।

परिवादी ने उनके द्वारा कार्यपालन यंत्री बेटमा को उक्त विषयांतर्गत प्रेषित आवेदन पत्र दि. 01.03.2021 तथा बिल माह जनवरी 2021 वर्तमान देयक राशि रु. 5684/- तथा पिछला बकाया राशि रु. 73521/- सहित रु. 79205/- की छाया प्रति प्रस्तुत की है।

विपक्ष का कथन :-

परिवादी का श्री फेज 15.0 एचपी. क्षमता का गैर घरेलू विद्युत कनेक्शन क. 3424804-BTM11-9-N3804018269 है, के परिसर में मीटर क. 9023073 मेक जीनस स्थापित है तथा पास बुक का निरीक्षण करने पर, कनेक्शन माह जुलाई 2019 से बंद है तथा उपभोक्ता द्वारा इसका कोई उपयोग नहीं किया गया। परिवादी को प्रत्येक माह 0 युनिट का बिल जारी करने पर 15 एचपी/20 -300 युनिट का बिल जारी किया जाता रहा और आज दिनांक तक बकाया राशि रु. 176094/- है

विपक्ष अतिरिक्त जवाबदावा प्रस्तुत कर यह अवगत कराया कि उक्त कनेक्शन पर बकाया होने के कारण विच्छेदित किया जाना संभव नहीं था तथा परिवादी के द्वारा समझौता आधार पर भी कुछ भी भुगतान नहीं किया गया एवं फोरम के मौखिक आदेश पर कनेक्शन परमानेंट विच्छेदित किया जा चुका है। कनेक्शन पास बुक एवं लाईनमेन के द्वारा की गई जाँच के अनुसार कनेक्शन माह जुलाई 2019 से बंद है। प्रत्येक माह 0 युनिट का बिल जारी करने पर रु.

176094 /— की राशि बकाया है। कंसूमर रिपोर्ट माह अक्टूबर 2020 से माह अगस्त 2022 तक संलग्न है।

विधिक प्रावधान:—

म.प्र.विद्युत प्रदाय संहिता 2013

अनुबंध का समापन

कंडिका 7.27

यदि किसी उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय बकाया राशि या प्रभारों का भुगतान न करने के कारण या इस संहिता के किसी निद्वारा का पालन न करने के कारण साठ दिवस की अवधि तक विच्छेदित रहता हो, तो अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को अनुबंध समापन के लिए पंद्रह दिवस का नोटिस जारी करेगा। यदि उपभोक्ता विच्छेदन के कारण को दूर करने के लिए या विद्युत प्रदाय पुनर्स्थापित करने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाता है, तो नोटिस की अवधि समाप्त होने उपरांत, अनुज्ञप्तिधारी का अनुबंध समाप्त हो जावेगा बर्तमान अनुबंध की प्रारंभिक अवधि समाप्त हो चुकी हो। संयोजन को भी स्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया जावेगा तथा अन्य उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति को प्रभावित किये बगैर, उक्त विनिष्ठा त्रुटिकर्ता उपभोक्ता के संयोजन को विद्युत प्रणाली (नेटवर्क) से हटा लिया जावेगा। अस्थायी विच्छेदन की अवधि के दौरान उपभोक्ता को अनुबंध की प्रारंभिक अवधि के अंतर्गत प्रयोज्य टेरिफ आद्वारा के अनुसार स्थाई प्रभार अथवा न्यूनतम प्रभार का भुगतान अनिवार्य रूप से कर दिया जावेगा तथा अनुबंध का समापन अनुबंध की प्रारंभिक अवधि के पश्चात् किया जा सकेगा।

विधिक प्रावधान:—

म.प्र.विद्युत प्रदाय संहिता 2021 की कंडिका 7.28

घरेलू या एकल फेज गैर-घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता 15 दिवस का नोटिस दे कर अनुबंध का समापन कर सकते हैं। उपरोक्त निर्धारित गई श्रेणियों के अलावा अन्य उपभोक्ता अनुबंध की दो वर्ष की प्रारंभिक अवधि के समाप्त होने के बाद एक महीने का नोटिस देकर अनुबंध का समापन कर सकते हैं। अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता के अंतिम बिल को बनाने में सुविधा हेतु आपसी सहमति से निर्धारित की गई तिथि को विशेष मापयंत्र वाचन लेने की व्यवस्था करेगा। अनुबंध का समापन बिलिंग माह की अंतिम तिथि को किया जावेगा तथा अनुज्ञप्तिधारी तदनुसार अंतिम देयक भुगतान हेतु तैयार करेगा।

फोरम का अवलोकन एवं अभिमत :-

परिवादी ने कनेक्शन की पीडीसी करने एवं कनेक्शन माह जुलाई 2019 से कटा हुआ है, का बिल कम करवाने की मांग की है।

विपक्ष ने कथन में बताया है कि परिसर में स्थापित मीटर क्र. 9023073 मेक जीनस स्थापित है। पास बुक का निरीक्षण करने पर कनेक्शन माह जुलाई 2019 से बंद है तथा परिवादी के द्वारा इसका कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है।

उक्त कनेक्शन पर बकाया राशि होने के कारण विच्छेदित किया जाना संभव नहीं था। वर्तमान में परिसर के विरुद्ध बकाया राशि रु. 176094/- है।

उभय पक्षों के द्वारा प्रस्तुत कथन एवं दस्तावेजों के आधार पर फोरम का अभिमत है कि परिवादी का 15 एचपी. का औद्योगिक कनेक्शन है, को समाप्त करने हेतु उनके द्वारा दि. 01.03.2021 को विपक्ष के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया था, परंतु बकाया राशि होने के कारण विपक्ष द्वारा कनेक्शन स्थाई विच्छेदित नहीं किया गया। बिलिंग विवरण के अनुसार माह जुलाई 2020 तक मीटर रिडिंग 26196 की खपत 102 युनिट तथा बाद के माहों में माह जुलाई 2022 तक की रिडिंग 26196 पर शुन्य खपत दर्ज पर बकाया राशि रु.173920/- पाई गई है।

अतः विधिक प्रावधान 7.27 एवं 7.28 के अनुसार, कनेक्शन को स्थाई विच्छेदित करवाने हेतु परिवादी द्वारा दिये गये आवेदन दि. 01.03.2021 के अनुसार, माह अप्रैल 2021 से कनेक्शन को स्थाई रूप से विच्छेदित करते हुए, बिलिंग संशोधित की जानी चाहिये तथा इसके बाद की बिलिंग निरस्त की जानी चाहिये।

फोरम का निर्णय :-

फोरम को उभयपक्ष से प्राप्त जानकारीयों एवं दस्तावेजों के अवलोकन उपरान्त फोरम निम्नानुसार निर्णय पारित करता है :-

01/ परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है।

02/ अभिमत में किये गये उल्लेखानुसार, परिवादी का 15 एचपी. का औद्योगिक कनेक्शन है, को समाप्त करने हेतु उनके द्वारा दि. 01.03.2021 को विपक्ष के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया था, परंतु बकाया राशि होने के कारण विपक्ष द्वारा कनेक्शन स्थाई विच्छेदित नहीं किया गया। बिलिंग विवरण के अनुसार माह जुलाई 2020 तक मीटर रिडिंग 26196 की खपत 102 युनिट तथा बाद के माहों में माह जुलाई 2022 तक की रिडिंग 26196 पर शुन्य खपत दर्ज पर बकाया

राशि रु.173920/- पाई गई है। अतः विधिक प्रावधान 7.27 एवं 7.28 के अनुसार, कनेक्शन को स्थाई विच्छेदित करवाने हेतु परिवादी द्वारा दिये गये आवेदन दि. 01.03.2021 के अनुसार, माह अप्रैल 2021 से कनेक्शन को स्थाई रूप से विच्छेदित करते हुए, बिलिंग संशोधित की जावे तथा इसके बाद की बिलिंग निरस्त की जावे। तथा फोरम के आदेश का पालन होने की दिनांक तक का तत्संबंधी अधिभार भी हटाया जावे।

03/ म.प्र.विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम 2021) के अध्याय 3 की कंडिका 3.29 में दिये गये प्रावधान के अनुसार, विपक्ष फोरम के उक्त आदेश का अनुपालन, आदेश प्राप्त होने की तिथि से 45 दिवस के भीतर करेंगे।

उक्तानुसार परिवाद निराकृत किया जाकर, आदेश पारित है।

(श्रीमती कमल कट्ठर),
सदस्य

(एन.एस.मंडलोई),
सदस्य

(व्ही.के.गोयल)
अध्यक्ष